

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(7)(5)पंचा/रानिआ/12/ 2946

जयपुर, दिनांक: 18/3/15

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत),
टोंक।

विषय:- पंचायत आम चुनाव 2015 के अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 एवं 53-ए के अनुसार नाम निर्देशन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज प्रतिबन्धित दस्तावेज नहीं है।

आयोग के पत्रांक 955 दिनांक 2.2.1995, जो "पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन (Compendium of Instructions)" 2015 के पृष्ठ संख्या 221-222 पर उपलब्ध है, में आवेदक से सूचना का प्रयोजन स्पष्ट करने की अपेक्षा के निर्देश थे। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि उक्त निर्देश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पूर्व दिये गये थे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अधिभावी (overriding effect) होंगे।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों में आवेदकों द्वारा आयोग के पत्रांक 955 दिनांक 2.2.1995 के अनुसार प्रयोजन स्पष्ट किया जाना अपेक्षित नहीं है।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर। 18/3/15

क्रमांक: एफ.7(7)(5)पंचा/रानिआ/12/ 2947

जयपुर, दिनांक: 18/3/15

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (टोंक को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर। 18/3/15